



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072022-237180
CG-DL-E-07072022-237180

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2976]
No. 2976]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 7, 2022/आषाढ़ 16, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 7, 2022/ASHADHA 16, 1944

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2022

का.आ. 3126(अ).—केन्द्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान होने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 4 के उपपैरा 1 के मद (IV) के उपमद (viii) में, "लोक आस्तियों" शब्दों के पश्चात् "जिसके अंतर्गत सीमा सड़क संगठन द्वारा संनिर्मित सुरंग और पुल भी है," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. जे-11017/06/2021-आरई-VII]

चरनजीत सिंह, अपर सचिव

टिप्पण : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की पहली अनुसूची का का.आ. संख्यांक 323(अ), तारीख 6 मार्च, 2007 द्वारा पहला संशोधन किया गया था और का.आ. संख्यांक 1719(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2022 द्वारा पहला अंतिम किया गया।

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th July, 2022

S.O. 3126(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) hereinafter referred to as the said act, the Central Government, on being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following further amendments in Schedule I to the said Act, namely:-

2. In the said Act, in Schedule I, in Paragraph 4, in sub-paragraph 1, in item (IV), in sub-item (viii), after the word “Act”, the words “including maintenance of tunnel and bridges constructed by the Border Roads Organization” shall be inserted.

[F. No. J-11017/06/2021-RE-VII]

CHARANJIT SINGH, Addl. Secy.

Note : Schedule I to the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 was first amended vide number S.O. 323 (E), dated the 6th March, 2007 and lastly amended vide number S.O. 1719 (E), dated the 8th April, 2022.